(h) धन विधेयक केवल लोकसभा में में ही प्रस्तुत किये जा सकते है |

लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक शक्तियाँ है :

राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते है |

संविधान द्वारा अपनायी गई लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है |

यही कारण है कि संविधान ने निर्वाचित प्रतिनिधियों (लोकसभा) के पास ही सरकार को हटाने और वित् पर नियंत्रण रखने की शक्ति दी है |

कानून बनाने की प्रक्रिया :

विधेयक: प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते है |

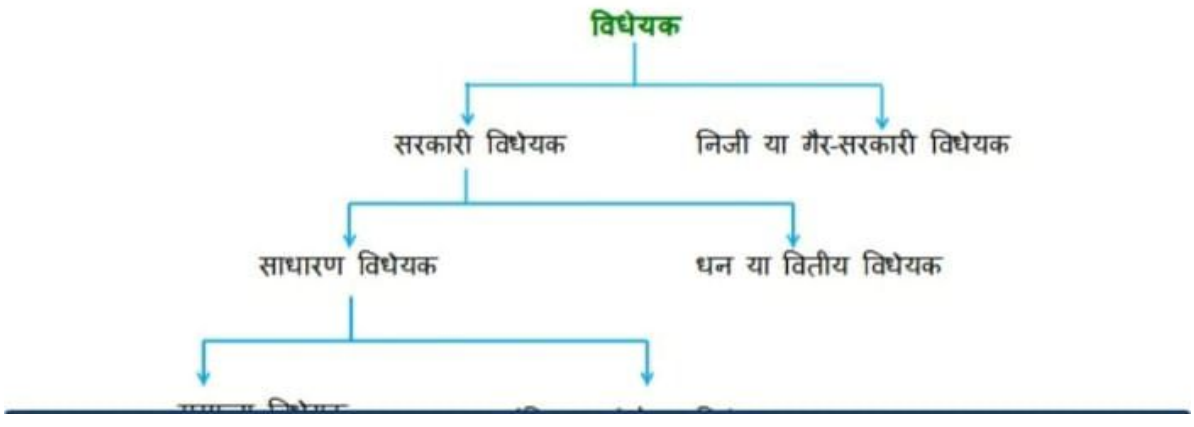

(d) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और उन्हें और सर्वोच्य न्यायलय के न्यायधीशों को हटा सकती है |

(e) उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है |

(f) यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है |

(g) यह राज्यों की हितों (शक्तियों) की रक्षा करती है |

लोकसभा:

लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं | लोकसभा चुनावों के लिए पुरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है | और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसे सांसद (Member of parliyament) कहा जाता है | इस समय लोक सभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं | इन निर्वाचन क्षेत्रों को संसदीय क्षेत्र भी कहा जाता है |

लोकसभा सदस्यों का चुनाव: लोकसभा चुनाव

लोकसभा की शक्तियाँ :

(a) संध सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है | धन विधेयकों और समान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है |

(b) कर-प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है |

(c) प्रश्न पूछ, पूरक प्रश्न पूछ कर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रण करती है |

(d) लोकसभा संविधान में संशोधन का कार्य करती है |

(e) आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है |

(f) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है और उन्हें और सर्वोच्य न्यायलय के न्यायधीशों को हटा सकती है |

(g) समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदन पर विचार करती है |

लोकसभा सदस्यों का चुनाव: लोकसभा चुनाव सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर होता है | प्रत्येक मत (वोट) का मूल्य समान होता है | लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है |

लोकसभा भंग की प्रक्रिया : लोकसभा चुनाव के बाद यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है अथवा कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और उसे कुछ दिनों में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहता है | यदि उस दल का नेता (प्रधानमंत्री) बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है और वह राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है | लोकसभा को 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही भंग किया जा सकता है |

लोकसभा की शक्तियाँ :

(a) संध सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है | धन विधेयकों और समान्य विधेयकों को